राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004, दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांकः सा.प्र./2026/ दिनांकः

परिपत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक एवं तकनीकी कार्मिकों को विश्वविद्यालय में आवास आवंटित किये जाते है परन्तु आवासों के औचक निरीक्षण में यह पाया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा स्वयं के नाम से आवंटित आवास को किसी अन्य व्यक्ति/कर्मचारी को किराये पर/रहने के लिए दे दिया जाता है जो कि विश्वविद्यालय आवास आवंटन नियमों का उल्लंघन है।

अतः उक्त क्रम में सभी कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक एवं तकनीकी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी तरह का कोई प्रकरण प्रशासन के संज्ञान में आता है तो विश्वविद्यालय नियमानुसार आवास आवंटन रद्द करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की होगी।

-ह०-
कुलसचिव

क्रमांकः सा.प्र./2026/1335-65 दिनांकः 25/7/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं शैक्षणिक ईकाई प्रभारी रा.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
3. सचिव, खेल बोर्ड, रा.वि.वि., जयपुर।
4. मुख्य कुलानुशासकं/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र व छात्रा), रा.वि.वि., जयपुर।
6. प्रभारी चिकित्साधिकारी, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, रा.वि.वि., जयपुर।
7. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
8. परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
9. समस्त उप कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
10. सहायक विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ/नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, प्रकोष्ठ, रा.वि.वि., जयपुर।
11. प्रबंधक, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, रा.वि.वि., जयपुर।
12. विश्वविद्यालय अभियंता, रा.वि.वि., जयपुर।
13. प्रभारी अधिकारी, उद्यान विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
14. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क कार्यालय, राज.वि.वि., जयपुर।
16. निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
17. रक्षित पंजिका।

18/7/26
अतिरिक्त कुलसचिव